राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

एफ 33()सीटीएडी/प्लान/जेजेबीवाई/2021–22/ दिनांक : 23.07.2021

## जनजाति भागीदारी योजना

राजस्थान में रहने वाले जनजाति समुदाय के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन प्रयासों में भागीदारी बढ़ाने के लिए जनजाति भागीदारी योजना वर्ष 2021–22 से प्रारंभ की जा रही है।

इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के कार्य जनजाति समुदाय की आवश्यकता के अनुरूप करवाए जा सकेंगे। योजना के तहत आवश्यक सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण एवं मरम्मत, संवर्द्धन, संरक्षण के साथ रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी, पशुपालन इत्यादि के क्षेत्र में भी कार्य करवाए जा सकेंगे। उदाहरण के तौर पर विद्यालयों, छात्रावासों, चिकित्सा केन्द्रों, आंगनबाडी केन्द्रों, मां–बाडी केन्द्रों, सड़क, पुलिया, जल संग्रहण ढांचों/एनीकटों, पेयजल योजनाओं, सामुदायिक शौचालयों, बस स्टैंड इत्यादि के निर्माण एवं मरम्मत, बल्क कूलर की स्थापना, हैचरी प्लांट, विभिन्न प्रकार की कोचिंग एवं प्रशिक्षण इत्यादि कार्य योजना के तहत करवाये जा सकेंगे। योजना के तहत वे कार्य ही अनुमत होगे जिनके माध्यम से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या कम से कम 50% भाग जनजाति समुदाय का हो।

योजना के तहत निजी भूमि पर निर्माण अनुमत नहीं होंगे एवं साथ ही भूमि/अधिग्रहण के पेटे मुआवजा भुगतान, धार्मिक स्थलों का निर्माण, जातिगत या धार्मिक आधार पर सामुदायिक भवनों का निर्माण अनुमत नहीं होगा । योजना के तहत आवृत्ति व्यय पर कोई राशि स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

इस योजना के तहत मुख्यतः नवीन कार्य/गतिविधियां संपादित की जाएगी तथा विशेष परिस्थितियों में अन्य योजनांतर्गत कराए जा रहे अपूर्ण कार्यों को योजना के तहत वित्त पोषित किया जा सकेगा।

इस योजना के तहत कार्य एवं गतिविधियों हेतु आवश्यक राशि का कम से कम 30 प्रतिशत की राशि जन सहयोग, स्वयं सेवी संस्थाओं, दानदाताओं या अन्य किसी सरकारी योजना/कार्यक्रम/फंड के तहत उपलब्ध कराए जाने पर शेष राशि इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना के अंतर्गत 10 लाख रू. तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलक्टर, रू. 10 लाख से अधिक तथा रू. 25 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर और रू. 25 लाख से अधिक राशि की स्वीकृतियां जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर से जारी की जाएगी।

योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों का कियान्वयन राजकीय विभाग या राज्य सरकार के उपक्रम/निगम/बोर्ड इत्यादि से कराया जाएगा तथा योजना के तहत सृजित होने वाली परिसंपत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार का होगा।

योजनांतर्गत होने वाली व्यय की मासिक सूचना संबंधित एजेंसी द्वारा एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी तथा साथ ही उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप निर्धारित परिपत्र में दिए जाएंगे।

यह योजना वित्त विभाग की आई डी संख्या 102103295 दिनांक 22.07.2021 द्वारा किये गये अनुमोदन के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्य स्तर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इस योजना का प्रशासनिक विभाग होगा। राज्य में यह योजना विश्व आदिवासी दिवस (9 अगस्त) 2021 से लागू होगी।

(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

**प्रतिलिपिः–** एफ 33()सीटीएडी/प्लान/जेजेबीवाई/2021–22/ दिनांक : 23.07.2021

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव.....
5. समस्त जिला कलक्टर.....
6. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्.....
8. सभी उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग.....

प्रमुख शासन सचिव